न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 189/2023

अनवान : –

1. हरिसिंह पुत्र लिछमन जाति राईका साकिन गिराजसर तहसील नोहर नाबालिग जरिये बली संरक्षक दादी प्रेम पत्नी मालाराम जाति राईका साकिन गिराजसर तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. सोनूदेवी पत्नी सुमेरसिंह जाति राईका साकिन पोसाना तहसील झुन्झनु जिला झुन्झनु।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 20/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 49/41 के ख0न0 111/94 की 1.7450, 93 की 12.2550 हैक्ट, 94 की 3.0350 हैक्ट, 95 की 3.9710 हैक्ट कुल 21.0060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि लिछमण पुत्र मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान में लिछमण पुत्र मालाराम के नाम दर्ज है जो कि वादी का पिता है। लिछमण पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है। लिछमण पुत्र मालाराम के देहान्त होने के बाद उसकी पत्नी प्रतिवादीया न0 1 ने समुरेसिंह जाति राईका साकिन पोसाना तहसील झुन्झनु से दुसरी शादी कर ली है जो उसके साथ रहती है विवादित भूमि में उसका कोई हक हिस्सा नही रहा है इसलिए लिछमण पुत्र मालाराम के फौत होने पर उसका लड़का एक मात्र जायज वारिस वादी ही है। लिछमण पुत्र मालाराम के देहान्त होने के बाद उसके नाम दर्ज वाद भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यही बिनाया दावा है।

वादी ने प्रतिवादीया स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया स0 1 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी स0 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी रेखजिन्द्रासर सम्वत 2070–73 खाता स0 49 प्रदर्श–1, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक लिछमण प्रदर्श–2, वारिस प्रमाण पत्र व सदस्य प्रमाण पत्र बहक लिछमण प्रदर्श–3, शपथ पत्र बाबत सदस्य प्रदर्श–4 आदि प्रदशिर्त करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीया का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षसुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता लिछमण पुत्र मालाराम के नाम दर्ज है लिछमण पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है। लिछमण पुत्र मालाराम के देहान्त के बाद उसकी पत्नी सोनूदेवी ने दूसरी शादी कर ली है तथा सोनू देवी का उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। उक्त वाद भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 49/41 के ख0न0 111/94 की 1.7450, 93 की 12.2550 हैक्ट, 94 की 3.0350 हैक्ट, 95 की 3.9710 हैक्ट कुल 21.0060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि लिछमण पुत्र मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–2 से स्पष्ट साबित है कि लिछमण पुत्र मालाराम का देहान्त हो चुका है। वादी का कथन है कि लिछमण पुत्र मालाराम के देहान्त के बाद वादी अकेला उक्त वाद भूमि वादी के के हक हिस्सा की भूमि है। वादी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में [illegible] जरा खानदान के अलावा लिछमण पुत्र मालाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीया की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 49/41 के ख0न0 111/94 की 1.7450, 93 की 12.2550 हैक्ट, 94 की 3.0350 हैक्ट, 95 की 3.9710 हैक्ट कुल 21.0060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि लिछमण पुत्र मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में लिछमण पुत्र मालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/1/2/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 189/2023
अनवान : –

1. हरिसिंह पुत्र लिछमन जाति राईका साकिन गिराजसर तहसील नोहर नाबालिग जरिये बली संरक्षक दादी प्रेम पत्नी मालाराम जाति राईका साकिन गिराजसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सोनूदेवी पत्नी सुमेरसिंह जाति राईका साकिन पोसाना तहसील झुन्झनु जिला झुन्झनु।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 189 सन 2023 निर्णय दिनांक 20/12/23

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पुनिया एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखजिन्द्रासर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 49/41 की कुल 21.0060 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि लिछमण पुत्र मालाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में लिछमण पुत्र मालाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/12/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.06 15:40:29 IST
Reason: SelfAttested